न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बबराणा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 53/17 उनवान

उनवान

1 मोहम्मद बिलाल खां पिता मुमताज खां पठान निवासी सांगानेर रोड भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज)

——————(प्रार्थी)

बनाम

1. रामदास पिता बालुदास बैरागी निवासी गोपालपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2. शंकरलाल पिता हीरालाल बलाई निवासी ढोलीखेडा तहसील व जिला–भीलवाडा
3. रामा पिता गुल्ला भील निवासी गोपालपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

——————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : : **दिनांक – 12.05.2017**

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 12.05.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल बबराणा भू0अ0नि0 महुआखुर्द तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 96 के आ0न0 448 रकबा 01–00 बीघा** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प बबराणा में दिनांक 12.05.2017 नया प्राप्त किया जाकर पंजीबद्ध किया। तथा इस पर राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा से रिपोर्ट पटवारी हल्का बबराणा प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल बबराणा भू0अ0नि0 महुआखुर्द तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 96 के आ0न0 448 रकबा 01–00 बीघा** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द को 300/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बबराणा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाडा
दिनांकः 12.05.2017

क्रमांक/प्रकरण संख्या/53/2017
प्रतिलिपिः–

तहसीलदार, बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो ।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा, जिला भीलवाडा